

पधारें है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 11/12/25
को पेश हो।

11/12/25

पत्रावली पेक्षा ही। वकील प्रार्थी अपण मूल वाद-
पत्र अदालत वेरवी में खारिज किया जा चुका
है। अतः प्रा० पत्र 2/12/25 का चलाने का
कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रा० पत्र 2/12-
25 इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।
पत्रावली फेसल कुमार होकर नम्बर से कम की
जाकर दाखिल दफ्तर हो।